न्यायालय तहसीलदार(राजस्व) छतरगढ़ जिला बीकानेर

मु.नं. 14/2021

निर्णय दिनांक 30.03.2021

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का छतरगढ (ए) तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर

(प्रार्थी)

बनाम

फूले खां पुत्र हुसैन खां जाति मुसलमान साकिन चक 1 सी.एच.एम तहसील छतरगढ जिला बीकानेर

(अप्रार्थी)

अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22

–निर्णय–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का छतरगढ (ए) व भू.अ.निरीक्षक छतरगढ ने रिपोर्ट मय प्रपत्र पी. 14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी ने चक 1 सी.एच.एम के मु.न. 143/55 के कि.न. 21/2 = 0.005 बिस्वान्सी कमाण्ड,, 20/2 = 0.010 बिस्वान्सी कमाण्ड, 11/2 = 0.010 बिस्वान्सी अनकमाण्ड कुल 1 बिस्वा 5 बिस्वान्सी कमाण्ड/अनकमाण्ड गैर मुमकिन कटान रास्ता की भूमि पर कृषि सम्वत् 2077 फसल रबी में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर चना की फसल काश्त कर ली है।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष/जवाब प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त नही हुआ, जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली दिनांक 30.03.2021 को पेशी में ली गई, चूंकि उक्त प्रकरण गैरमुमकिन रास्ते से संबधित है, जिस पर अतिक्रमण होने से आमजन के आवागमन में दुविधा उत्पन्न हो रही है। अतः प्रकरण का निस्तारण कर मौके पर गैरमुमकिन रास्ता खुलवाया जाना अनिवार्य है। अतः गैरसायल के विरूद्व इकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है।

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानो के तहत कोई व्यक्ति उपनिवेशन क्षेत्र में बिना किसी विधिक अधिकार के किसी भूमि पर काबिज होने अथवा लगातार काबिज रहने की स्थिति मे अतिक्रमी माना जावेगा तथा उसे इस धारा के प्रावधानो के तहत तहसीलदार द्वारा बेदखल किया जावेगा। ऐसा अतिक्रमी 50 गुना लगान की शास्ति तक दण्ड का भागी व पश्चातवर्ती अतिक्रमण की दशा में 3 माह के सिविल कारावास का भागी होगा।

अतः प्रकरण मे अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। अप्रार्थी के विरूद्व राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानो के तहत कार्यवाही अमल मे लाई जाकर भू–राजस्व का 50 गुना 13/–अक्षरे तेरह रूपये शास्ति आरोपित कर, मौके पर रास्ता चालू करवाये जाने एवं अप्रार्थी को बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है ।

भू.अ.निरीक्षक छतरगढ व पटवारी हल्का छतरगढ (ए) को आदेशित किया जाता है कि मौके पर खडी फसल को नष्ट कर मौके पर रास्ता चालू करवाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व पटवारी हल्का को वसूली एवं मौके से बेदखली/कब्जा भूमि बहक सरकार लेने बाबत बाबत लिखा जावे। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम कर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुलदीप सिंह)
तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक
छतरगढ़ (बीकानेर)

तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक
छतरगढ़ (बीकानेर)